

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 138/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्यामलाल पिता मोहनलाल बहेड़िया,
2. कैलाश पिता दयाराम खटीक,
3. मांगी पत्नी दयाराम खटीक,
4. शिवलाल पिता गोपीलाल जाट,
5. नन्दा पिता हांसु खटीक,
6. मोहन पिता हांसु खटीक,
7. जगन्नाथ पिता हांसु खटीक,
8. बिहारी पिता हांसु खटीक,
9. रतनलाल पिता कजोड़ खटीक,
10. तोलीराम पिता कजोड़ खटीक,
11. नानूराम पिता कजोड़ खटीक,
12. शान्तिलाल पिता कजोड़ खटीक,
13. प्रभा पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया,
14. प्रेम पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया,

सर्व निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 17 / 06 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 965 रकबा 0.24 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 532 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षीसंख्या 08 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाहने से उसका नाम डिलीट किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 965 रकबा 0.24 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.24 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते

उपखण्ड अधिकारी क्रमश....


// 02 //

प्रकरण संख्या :- 138/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)